

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या
125/15

दायरा दिनांक
17.07.2015

निर्णय दिनांक
04.10.2018

1 इस्लामी पत्नी सलाजीत खां जाति मेव निवासी सुहेटा, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर
राजस्थान

वादीया

बनाम

- 5 माहामल पुत्र समीर खां जाति मेव निवासी सुहेटा, तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान
- 6 तहसीलदार महोदय मुण्डावर, जिला अलवर राज.
- 7 सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर, जिला अलवर राज.
- 8 शाखा प्रबन्धक, सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा खैरथल, जिला अलवर, राज.

प्रतिवादीगण


दावा -ईशतकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज
बम्य हु0 ई0 दवामी

वादीया की ओर से श्री गंगाराम पटेल एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.10.2018 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

हाल आराजी खसरा नं0 206/2.23 हैव0 वाके ग्राम सुहेटा तहसील मुण्डावर में से प्रतिवादी सं0 1 के 1/7 भाग में से 11 बिस्वा यानी 14 एयर आराजी के बाबत मुताबिक बयनामा दिनांक 02.07.2004 वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड पर प्रतिवादी सं0 1 का नाम उक्त विवादित रकबा 14 एयर की हद तक प्रतिवादी का नाम हजफ किए जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से प्रतिवादी सं0 1 को पाबन्द किया जाता है कि वह हाल रिकार्ड में हो रहे अंकन के आधार पर उक्त विवादित आराजी को किसी भी प्रकार से मुन्तिकिल ना करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक04.10.2018 में मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(साधुराम जाट) उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राज.) राज.
पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर